



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092020-222163
CG-DL-E-30092020-222163

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276]
No. 276]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2020/आश्विन 8, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2020/ASVINA 8, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2020

(मामला संख्या: ए डी-ओआई 34/2020)

विषय : यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य, रूस और थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कैपरोलैक्टम" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/39/2020-डीजीटीआर.— 1. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड (जिसे यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य, रूस और थाइलैंड (जिसे यहां आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा से वहां से निर्यातित "कैपरोलेक्टम", (जिसे यहां आगे "संबद्ध वस्तुएं" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पी यू सी" कहा गया है), के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने के लिए एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने यह दलील दी है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद कैपरोलेक्टम है, जो एक मोनोमर है और जो नाइलोन-6 के उत्पादन के लिए एक आधार सामग्री है। कैपरोलेक्टम को लिक्विड और सोलिड, दोनों रूप में उत्पादित किया जाता है।
4. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के तहत टैरिफ शीर्ष 29337100 के तहत वर्गीकृत किया गया है। यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं हैं।

ख. समान वस्तु

5. आवेदक ने यह दावा किया है कि भारत में निर्यातित सबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देश से आयातित वस्तुओं के तकनीकी विनिर्देशनों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है। ये दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं तथा इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें "समान वस्तु" माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजन से आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तुओं के "समान वस्तु" माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

6. यह आवेदन गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। अन्य उत्पादक ने जांच की अवधि में कोई उत्पादन नहीं किया है और इसीलिए आवेदक के उत्पादन में भारत का समग्र उत्पादन शामिल है। आवेदक भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक से अथवा संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक से संबंधित नहीं है। आवेदक ने कोरिया और थाइलैंड से कम मात्रा में संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। भारत में कुल आयातों और भारत में मांग की तुलना में आयातों की मात्रा बहुत ही कम है। रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के संदर्भ में पात्र घरेलू उद्योग है और यह आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में स्थिति के मानदंड को पूरा करता है।

घ. कथित पाटन का आधार**i. सामान्य मूल्य**

7. आवेदक ने यह कहा है कि संबद्ध देशों के घरेलू बाजार में उत्पादकों की लेनदेनवार कीमतें सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हैं और यह कि इसका संबद्ध देशों में उपलब्ध कीमतों के लिए किसी रिपोर्ट तक पहुंच नहीं है। इसके अलावा, संबद्ध देशों से निर्यात कीमतों में बहुत अधिक अंतर है। इस कारण से बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्च और उचित लाभ के साथ विधिवत समायोजित घरेलू उद्योग की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य की संरचना की गई है।

ii. निर्यात कीमत

8. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के निर्यात की कीमत का परिकलन वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के आधार पर किया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार और अंतरदेशीय माल भाड़ा व्यय के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं।

iii. पाटन मार्जिन

9. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है जो प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से न्यूनतम स्तर से ऊपर पाटन मार्जिन को दर्शाता है। इस तथ्य का प्रथमदृष्टया साक्ष्य है कि विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों के निर्यातकों के द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

ड. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

10. आवेदक ने कथित पाटन जिसके फलस्वरूप पूर्ण रूप में और भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है, के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में प्रथमदृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किया है। आवेदक के कार्य निष्पादन पर क्षतिकारक कीमत से कम कीमत पर विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि के

परिणामस्वरूप क्षति की अवधि (पीओआई) के दौरान लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक लाभ के साथ घरेलू उद्योग द्वारा उठाई जा रही हानि तथा उत्पादन, बिक्री, क्षमता का उपयोग, बाजार का हिस्सा के संबंध में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही वास्तविक क्षति का प्रथमदृष्टया साक्ष्य है।

च. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

11. घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने के लिए, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, जांच की शुरूआत करते हैं।

छ. संबद्ध देश

12. वर्तमान जांच के लिए संबद्ध देश यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य, रूस और थाइलैंड हैं।

ज. जांच की अवधि (पीओआई)

13. वर्तमान जांच में जांच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 (12 महीने) की है। तथापि, क्षति जांच की अवधि 2016-17, 2017-18, 2018-19 और जांच की अवधि शामिल होगी।

झ. प्रक्रिया

14. नियमावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

15. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पत्तों adg12-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, dd13-dgtr@gov.in तथा ad11-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/ एमएस वर्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

16. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी संबंधित सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

17. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

18. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ट. समय-सीमा

19. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर ईमेल पत्तों adg12-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, dd13-dgtr@gov.in तथा ad11-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। हालांकि यह भी नोट किया जाए कि उक्त नियमावली की व्याख्या के संदर्भ में, सूचना और अन्य दस्तावेजों को मंगाने के लिए नोटिस के संबंध में यह माना जाएगा कि वह उस तारीख, जब इसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को भेजा गया था अथवा सम्प्रेषित किया गया था, से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हो गया है। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

20. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

21. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे डी जी टी आर की अधिकारिक वेबसाइट अर्थात् www.dgtr.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7 (2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/ अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।

23. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

24. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

25. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

26. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

27. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

28. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

29. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

30. नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप में सार्वजनिक फाइल को रखे जाने के तौर तरीके तैयार किए जा रहे हैं।

ढ असहयोग

31. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

बी. बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Directorate General of Trade Remedies)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2020

(Case No- AD-OI 34/2020)

Subject : Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Caprolactam” originating in or exported from European Union, Korea RP, Russia and Thailand.

F. No. 6/39/2020-DGTR.—1. Gujarat State Fertilizers and Chemicals Limited (hereinafter also referred to as the ‘Applicant’) filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as “Authority”) in accordance with Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (herein after referred to as the “Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the “Rules”) for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Caprolactam” (hereinafter referred to as the “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”) originating in or exported from European Union, Korea RP, Russia and Thailand (hereinafter referred to as “subject countries”).

2. The Applicant has alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to dumped imports from the subject countries and has requested for imposition of the anti-dumping duties on the import of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

A. Product under consideration

3. The product under consideration in the present application is Caprolactam which is a monomer and a base material for production of Nylon-6. Caprolactam is produced and sold in both liquid and solid forms.
4. The product under consideration is classified under chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under the tariff heading 29337100. The custom classification is indicative only and not binding on the scope of investigation.

B. Like Article

5. The Applicant has claimed that the subject goods exported to India are identical to the goods produced by the domestic industry. Subject goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from subject countries in terms of technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject countries

C. Domestic industry & standing

6. The application has been filed by Gujarat State Fertilizers and Chemicals Limited. The other producer has not undertaken any production in the period of investigation and therefore the production of the applicant accounts for the entire production in India. The applicant is not related to any importer of the subject goods in India or exporter of subject goods in the subject countries. The Applicant has imported small quantity of subject goods from Korea and Thailand. The volume of imports is insignificant in relation to total imports into India and demand in India. On the basis of the information on record, the Authority notes that the applicant constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2(b) and the application fulfils the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

D. Basis for Alleged Dumping

i. Normal value

7. The applicant has stated that transaction prices of the producers in the domestic market of the subject countries are not available in the public domain and that it does not have access to any reports for

prices available in the subject countries. Further, there is significant variation in the export prices from the subject countries. Therefore, the normal value has been constructed based on the cost of the domestic industry duly adjusted with selling, general and administrative expenses and reasonable profit.

ii. Export Price

8. The export price for subject goods from the subject countries has been computed based on the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics transaction-wise import data. Price adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, bank charges and inland freight expenses.

iii. Dumping Margin

9. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows dumping margin above the de-minimis level from the subject countries. There is prima facie evidence that the product under consideration is being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

E. Injury and Causal Link

10. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished prima facie evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping, resulting in increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India on the domestic industry. The performance of the Applicant has been adversely impacted in respect of production, sales, capacity utilization, market share, and losses are being suffered by the domestic industry with negative return on capital employed during the period of investigation (POI), as a result of increase in imports of product under consideration at a price below non-injurious price. There is prima facie evidence of material injury being caused to the domestic industry by dumped imports from subject countries.

F. Initiation of Anti-Dumping Investigation

11. On the basis of duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry

G. Subject Countries

12. The subject countries for the present investigation are European Union, Korea RP, Russia and Thailand.

H. Period of Investigation (POI)

13. The period of investigation (POI) in the present investigation is 1st April, 2019 to 31st March, 2020 (12 months). The injury period of investigation will, however, cover the periods 2016-17, 2017-18, 2018-19 and the period of investigation.

I. Procedure

14. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

J. Submission of Information

15. In view of the special circumstances arising out of COVID- 19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address adg12-dgtr@gov.in adv11-dgtr@gov.in, dd13-dgtr@gov.in and ad11-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.

16. The known producers/exporters in the subject countries, Governments of the subject countries through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
18. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

K. Time Limit

19. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg12-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, ddl3-dgtr@gov.in and ad11-dgtr@gov.in within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
20. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.
21. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of DGTR i.e. www.dgtr.gov.in for any updated information with respect to this investigation.

L. Submission of information on confidential basis

22. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non- confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
23. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
24. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
25. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
26. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
27. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or in summary form, it may disregard such information.

28. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
29. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

M. Inspection of Public File

30. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

N. Non-cooperation

31. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority